***प्रेस नोट**

जनपद-संतकबीरनगर

दिनाँक 31.07.2025

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के अन्दर किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना मेहदावल पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त नाम पता संतोष यादव पुत्र जयराम यादव ग्राम धवरिया थाना दुधारा जनपद सन्त कबीर नगर को 02 अदद नाजायज चाकू आला कत्ल के साथ मेहदावल रोडवेज के पश्चिम तरफ चबुतरे से दिनाँक 30.07.2025 को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरणः- दिनाँक 30.07.2025 को वादी श्री बैजनाथ यादव पुत्र सीताराम निवासी बेलऊआ थाना खेसरहाँ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी दिनाँक 30.07.2025 को अपनी बहन लक्ष्मी यादव पत्नी संतोष यादव ग्राम धवरिया थाना दुधारा जनपद सन्त कबीर नगर तथा अपनी माँ व भांजी के साथ तारीख देखने आये थे तभी वादी की बहन लक्ष्मी यादव पर उसके पति संतोष यादव उपरोक्त ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले करके घायल कर दिया, चाकू से घायल वादी की बहन लक्ष्मी यादव की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 301/2025 धारा 103(1) पंजीकृत किया गया।

बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. संतोष यादव पुत्र जयराम यादव ग्राम धवरिया थाना दुधारा जनपद सन्त कबीर नगर।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरी शादी लगभग 08 वर्ष पहले लक्ष्मी यादव पुत्री सीताराम यादव निवासी बेलउवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर नगर के साथ हुई थी, उससे मेरी एक वर्ष की बेटी है पिछले 04 वर्ष से हम दोनो के बीच सम्बन्ध खराब चल रहे थे वह अपने मायके मे ही रह रही थी। 3-4 दिन पहले वह फोन की कि मै दुसरी शादी करुगी तुम भी दुसरी शादी कर लो, दिनाँक 30.07.2025 को मेहदावल तहसील मे आओ रफा दफा हो जाय। आज दिनाँक 30.07.2025 को मै उसके मो0न0 पर एक अनजान व्यक्ति के मोबाईल से काल कर पुछा तो बतायी कि मै 10 बजे मेहदावल तहसील पहुँच जाऊँगी तुम भी आ जाओ आज सबकुछ समाप्त हो जाये। मै दिनाँक 29.07.2025 को दो चाकू की व्यवस्था कर लिया था ताकि एक चाकू पकड़ जाये तो दूसरे से मार सकू और दोनो चाकू को दोनो बाह मे फुल बाजू शर्ट मे छुपाकर मेहदावल तहसील पहुँचा। वह अपने वकील के तख्त पर बैठी थी उसके साथ मे हमारी लड़की, मेरी पत्नी की मां व भाई बैजनाथ भी थे। मै उसके पास पहुचा तथा एक चाकू से ताबड़तोड़ 3-4 वार कर दिया चाकू कहाँ कहाँ लगा मुझे खुद पता नही है। मेरा उद्देश्य था कि वह मर जाय। मारने के बाद चाकू को वही पास मे रखे पुराने फ्रिजर के पीछे छिपा दिया था और वहाँ से भाग गया।

बरामदगी का विवरणः-

01. आलाकत्ल 02 अदद चाकू।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, हे0का0 मोतीलाल यादव , हे0का0अजय कुमार सिंह, का0 राजेश कुमार।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 422/2025 धारा 64(क), 115(2), 333, 352, 351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता कादिर पुत्र तसऊवर निवासी डेरवा जंगलउन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को ठेगैचा अजगैबा मार्ग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 19.05.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग नातिन के सोते समय घर में घुसकर नातिन के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने व गाली व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 31.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, हे0का0 कलीमुद्दीन, का0 शमसेर अली।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा कार्यालय यूपी 112, जनपद नियंत्रण कक्ष, रेडियो शाखा, ऑपरेशन त्रिनेत्र कार्यालय का किया गया निरीक्षण, सम्बन्धित को दिए गये आवश्यक दिशा निर्देश

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा आज दिनाँक 31.07.2025 को कार्यालय यूपी 112, जनपद नियंत्रण कक्ष, रेडियो शाखा, ऑपरेशन त्रिनेत्र कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम मे महोदय द्वारा सभी शाखाओं के विभिन्न अभिलेखों के रखरखाव का जायजा लेकर गहनता से निरीक्षण किया गया तथा उपस्थित अधिकारी / कर्मचारीगण से उनके कार्यों से सम्बन्धित जानकारी ली गयी, समीक्षा के दौरान जो भी कमियां पायी गयी उसके सुधार हेतु सम्बन्धित को आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा यूपी 112 प्रभारी को निर्देश दिया गया कि रिस्पांस टाइम में सुधार करते हुए समय-समय पर यूपी 112 के कर्मियों की जांच करें तथा यदि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें। त्रिनेत्र कार्यालय को आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत थानों से सम्पर्कर कर जनपद के महत्वपूर्ण स्थानों, प्रतिष्ठानों, गांवों आदि में लोगों से संपर्क स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरा सड़क मार्ग को कवर करते हुए लगवाने हेतु बताया गया। इस दौरान डायल 112 प्रभारी ***श्री राहुल यादव*** पीआरओ पुलिस अधीक्षक ***श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय*** सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* वारण्टी नाम पता संजय यादव पुत्र रामजतन यादव निवासी रानीपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामदशरथ यादव, का0 गौरव चौहान, का0 सलमान अंसारी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 70 वाहनों से 1,57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 31.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 70 वाहनों से 1,57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

*

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 310/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता आलोक कुमार मझवार पुत्र रविन्द्र प्रसाद मझवार उर्फ राजू ग्राम मंसुरगंज थाना जहाँगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर हा0मु0 बेउरी थाना गोला जनपद गोरखपुर को नेतवापुर रोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना धनघटा पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 31.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री रामदशरथ यादव, का0 गौरव चौहान।